HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2300/2023

1. Smt. Bimla W/o Late Shri Laduram, Age - 52 Years,
2. Amar Singh S/o Late Shri Laduram, Age - 37 Years,
3. Ummed Singh S/o Late Shri Laduram, Age - 33 Years,
R/o Village - Sitapura, Chavand, Tehsil - Dausa, District - Dausa, Rajasthan.

----Claimants/Appellants

Versus

1. A-Ramesh Chand S/o Chouthmal Poorviya, R/o Village - Bhandarej, Tehsil And District Dausa, Rajasthan.
B - Rajprakash S/o Chagan, R/o Agra Road - Dausa, Rajasthan. (Owners)
2. Purushottam S/o Ramswroop, R/o Bhandarej, Tehsil - Dausa, District - Dausa, Rajasthan. (Driver)
3. The New India Assurance Company Limited, Through Branch Manager, Branch Office, Dausa, District - Dausa, Rajasthan. (Insurance Company)

----Non-Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Dr. Ramdeo Arya, Adv. for Mr. Ritesh Jain, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. P.K. Kasliwal, Adv. with Mr. C.M. Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR
Judgment

12/05/2026

1. अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील धारा–173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत **न्यायालय मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, दौसा, राज.** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–116/2020, श्रीमती बिमला व अन्य बनाम रमेश चंद व अन्य** में पारित **निर्णय दिनांक 24.04.2023** (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के नाम से संबोधित किया जाएगा) के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थीगण द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना में **लादूराम** की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप **कुल 1,07,00,000/— रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका का निस्तारण करते हुए याचीगण को कुल **3,02,596/— रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि **मय ब्याज 06 प्रतिशत** सालाना की दर से दिलवाई गयी है। विद्वान अधिकरण के उक्त आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थीगण द्वारा क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,538/— रुपये प्रतिमाह निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि मृतक की आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। वक्त घटना मृतक खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 10,000—15,000/— रुपये की आय अर्जित करता था। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वयस्क पुत्रों को मृतक पर आश्रित नहीं मानकर मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग के स्थान पर 1/2 भाग की कटौती की जाकर त्रुटि कारित की गयी है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा कंसोर्टियम की मद में तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से अपीलार्थीगण के उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि मृतक के दोनों बच्चे वयस्क है तथा विवाहित हैं, जिन्हें किसी प्रकार से मृतक पर आश्रित नहीं माना जा सकता। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा पारित किये गये

निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 01.01.2018 की बताई गयी है तथा वक्त घटना मृतक को खेतीबाड़ी व मजदूरी कर प्रतिमाह 10,000–15,000/– रूपये की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किन्तु मृतक की आय के संबंध में अपीलार्थीगण की ओर से कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर 213/– रुपये के आधार पर मृतक की मासिक आय की गणना 26 दिवस की मजदूरी के आधार पर करते हुए 5,538/– रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी है, जबकि मृतक की मासिक आय की गणना 30 दिवस की मजदूरी के आधार पर की जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में हम, वक्त घटना मृतक को अकुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी दैनिक आय 213/– रुपये, तद्नुसार मासिक आय 213 x 30 = 6,390/– रुपये निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। क्लेम याचिका में वक्त घटना मृतक की आयु 51 वर्ष होना बताई गयी है तथा विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि 01.01.1954 के अनुसार वक्त घटना मृतक की आयु 64 वर्ष होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना मृतक की आयु 61 से 65 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। चूंकि वक्त घटना मृतक की आयु 60 वर्ष से अधिक थी, ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक की निर्धारित मासिक आय पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** के मामले में भी 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की आय पर भविष्य वृद्धि किये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। तद्नुसार मृतक की निर्धारित

मासिक आय 6,390/– रुपये होती है, जो क्षतिपूर्ति के निर्धारण का आधार रहेगी।

7. वक्त घटना मृतक पर कुल तीन आश्रित बताये गये हैं, जिनमें अपीलार्थी संख्या–1 मृतक की पत्नी तथा अपीलार्थी संख्या–2 व 3 मृतक के पुत्र हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक के वयस्क पुत्रों अमरसिंह व उम्मेदसिंह, अपीलार्थी संख्या–2 व 3 को वक्त घटना मृतक पर आश्रित नहीं मानते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/2 भाग की कटौती की गयी है। जबकि मृतक के वयस्क पुत्रों को भी मृतक पर आश्रित माना जाना चाहिए था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **National Insurance Company Ltd. Vs. Birender & Ors.** reported in **(2020) 11 SCC 356** के मामले में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "**14.** It is thus settled by now that the legal representatives of the deceased have a right to apply for compensation. Having said that, it must necessarily follow that even the major married and earning sons of the deceased being legal representatives have a right to apply for compensation and it would be the bounden duty of the Tribunal to consider the application irrespective of the fact whether the legal representative concerned was fully dependent on the deceased and not to limit the claim towards conventional heads only. The evidence on record in the present case would suggest that the claimants were working as agricultural labourers on contract basis and were earning meagre income between Rs 1,00,000 and Rs 1,50,000 per annum. In that sense, they were largely dependent on the earning of their mother and in fact, were staying with her, who met with an accident at the young age of 48 years."

8. इस प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में मृतक के बालिग पुत्रों को विवाहित

होने तथा आय अर्जित करने के बावजूद भी उन्हें पूर्णतया मृतक पर आश्रित माना गया है। इस मामले में भी अपीलार्थी संख्या–2 व 3 मृतक के वयस्क पुत्र हैं, जिन्हें विद्वान अधिकरण द्वारा मृतक पर आश्रित नहीं मानकर त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में हम, **बिरेन्दर (उपरोक्त)** के मामले में पारित मत से सहमत होते हुए मृतक के वयस्क पुत्रों को भी मृतक पर आश्रित होना मानते हुए वक्त घटना मृतक पर आश्रितों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए मृतक के व्यक्तिगत खर्च की कटौती के मद में 1/3 भाग की कटौती किया जाना उचित समझते हैं। तद्नुसार 6,390/– रुपये का 1/3 भाग 2,130/– रुपये होता है, जिसे निर्धारित मासिक आय में से घटाने के उपरांत आश्रित आय की शेष राशि 4,260/– रुपये होती है। वक्त घटना मृतक की आयु 61 से 65 वर्ष के मध्य निर्धारित की गई है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रासंपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर मृतक की आयु को दृष्टिगत रखते हुए 7 का गुणक लगाया जाना अपेक्षित है।

9. तद्नुसार मृतक की निर्धारित आय 4,260/– रुपये के आधार पर अपीलार्थीगण को होने वाली आश्रित आय की **कुल क्षति 4,260 x 12 x 7 = 3,57,840/– रुपये** होती है जो अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

10. विद्वान अधिकरण द्वारा समस्त अपीलार्थीगण को एकमुश्त 40,000/– रुपये की राशि कंसोर्टियम की मद में दिलवाई गयी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** व **यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2021) 11 एससीसी 780** व अन्य न्यायिक दृष्टांत **मेगमा जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम नानू राम उर्फ चुहरू राम व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2018) 18 एससीसी 130** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक आश्रित को 40,000/– रुपये कंसोर्टियम की मद में दिलवाये जाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

11. हस्तगत मामले की घटना वर्ष 2018 की बताई गयी है। ऐसी स्थिति हम, माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **प्रणय सेठी (उपरोक्त), सतिन्दर कौर उर्फ सतविन्दर कौर (उपरोक्त)** व **नानू राम उर्फ चुहरू राम (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार घटना की तिथि को दृष्टिगत रखते हुए, मृतक की पत्नी अपीलार्थी संख्या–1 को ''स्पाउस कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये तथा मृतक के पुत्रों अपीलार्थी संख्या– 2 व 3 प्रत्येक को ''पैरेण्टल कंसोर्टियम'' की मद में 40,000/– रुपये (कुल 1,20,000/– रुपये) की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

12. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थीगण को अंतिम संस्कार की मद में 15,000/– रुपये तथा सम्पदा की हानि के मद में 15,000/– रुपये की राशि दिलवाई गयी है, जो **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत होती है, इसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

13. उक्तानुसार अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि (रूपये में)**
1.	आश्रित आय की क्षति के मद में	3,57,840/–
2.	कंसोर्टियम के मद में	कुल 1,20,000/–
3.	अंतिम संस्कार के मद में	15,000/–
4.	सम्पदा की हानि के मद में	15,000/–
इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई कुल क्षतिपूर्ति राशि		**5,07,840/–**
विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि (–)		3,02,596/–
बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर		**2,05,244/–**

14. तदनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थीगण/क्लेमेंट्स को **3,02,596/– रूपये** दिलवाये जाने का आदेश पारित किया गया है, के स्थान पर **5,07,840/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। अपीलार्थीगण को देय क्षतिपूर्ति राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थीगण द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट

राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते हैं।

15. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थीगण, 08 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

16. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

17. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

LOKESH RAJ /26